

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 52/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटेंशन/राआनि)

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2019

का.आ. (ई) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) का धारा 28(9) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तिर्या का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय तालिका के स्तम्भ (3) मे उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्याय निणयन के प्रयोजनाथ, जिनके लिए यथा उल्लेखित तालिका के स्तम्भ (4) मे उल्लेखित समान न्याय निणयन प्राधिकारी पहले ही नियुक्त हो चुका है, तालिका के स्तम्भ (2) मे उल्लेखित नोटिसर्या के संबंध मे शुल्क अथवा ब्याज निधारण के प्रयोजनाथ, एतद द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का धारा 28 का उप धारा (8) के तहत समायावधि दिनांक 29.03.2019 से 28.03.2020 का अर्वाध के लिए बढ़ाते है:-

तालिका

क्र.	फि फि फि	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का 28(9)(b))	समान न्याय निणयन फि फि फि क फि फि फि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मै जिंदल फ़ाइन इंडस्ट्रीज़, धंडारो कलाँ, केम्पा कोला लेन, D-51, फोकल पॉइंट, फ़ेस-V, लुधियाना और अन्य	डीआरआई फा. सं. 856(41) LDH/2005 दिनांक 29.09.2007, दिनांक 17.06.2008 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	अधिसूचना सं. 15/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 10.08.2018
2.	मै जिंदल फ़ाइन इंडस्ट्रीज़, धंडारो कलाँ, केम्पा कोला लेन, D-51, फोकल पॉइंट, फ़ेस-V, लुधियाना और अन्य	डीआरआई फा. सं. 856(41) LDH/2005 दिनांक 27.05.2008.	अधिसूचना सं. 15/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 10.08.2018

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-4/2019-CI]

(श्री)
फि

प्रतिर्याप सूचना एवं रिकॉड के अद्यतन हेतु प्रेषित

- फि (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय- फि फि
फि फि फि फि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का धारा 28 का उप धारा (8)
ल ब फि फि , राजस्व आसूचना निदेशालय द फि